कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी,

रोशनदौला कोठी, कैसरबाग, लखनऊ

Call Center, 2623739 website-lucknow.nic.in/deo.html,Email lucknowadeo@gmail.com

संख्या– 627 /निर्वाचन–1–38/2016–18 दिनॉक– 30 मई, 2018

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय– लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1019/सी0ई0ओ0–1–105/1–2015 दिनांक–22 मई, 2018 के संदर्भ में निवेदन करना है कि निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत वांछित सूचना एवं निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय

(श्री प्रकाश गुप्ता)
अपर जिलाधिकारी (प्रसाशन)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, लखनऊ को इस आशय से कि निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत संलग्न सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय, लखनऊ के वेबसाइट– lucknow.nic.in/deo.html पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

30.05.18

अपर जिलाधिकारी (प्रसाशन)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
लखनऊ।

पत्र संख्या– 627 निर्वाचन–1–38/2016–18 दिनांक–30 मई, 2018 का सलंग्नक

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय, लखनऊ की website- lucknow.nic.in/deo.html पर मैनुअल अपलोड करा दिये गये है तथा निधार्रित प्रारूप पर प्रमाण पत्र निम्नवत है–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत तैयार कर वेबसाइअट पर अपलोड किये गये मैनुवल की संख्या तथा तिथि	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुवल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3
01/30–05–2018	0	0

30/5/18

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
लखनऊ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
लखनऊ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–2005 4(1)(ख) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना।

(i)	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य–	जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची के बनाने तथा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, राज्य सभा/लोक सभा और विधान परिषद/विधान सभा के निर्वाचनों से संबंधित कार्य सम्पादित करता है।
(ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य–	निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत निहित हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गये सभी कार्य आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया जाता है।
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जिला स्तर पर कार्यवाही किया जाता है और रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाता है।
(iv)	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान–	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों को आवश्यतानुसार कार्य आवंटित किये जाते है। अधीनस्थ अधिकारी आवंटित कार्य को समयबद्ध रूप से निस्तारित करते हैं।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियें द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख–	निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये गये नियम, अनुदेश एवं निर्देशिका का अनुपालन किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियम, विनियम, अनुदेश आदि लागू होते हैं।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेवसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध है।
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं–	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों में जन साधारण का सहयोग/परामर्श लिये जाने का प्राविधान है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली निर्वाचन नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र तथा निर्वाचनों के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता है और इसमें जनता का सहयोग लिया जाता है।
(viii)	एसे बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या एसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण–	शून्य

—2→